दिनांक 13.01.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त फिरोज अली व अफरोज अली न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त बरकत अली व मजहर अली की हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र केवल आज के लिये प्रस्तुत। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए0डी0जी0सी0 को प्रार्थनापत्र 42ख अन्तर्गत धारा 348 बी0एन0एस0एस0 पर सुना जा चुका है।

अभियुक्त फिरोज अली की ओर से प्रार्थनापत्र 42ख अन्तर्गत धारा 348 बी0एन0एस0एस0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त इस मुकदमें में आरोप पत्र में नामित अभियुक्त है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.06.2019 से न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है। इस मुकदमें में आवेदक/अभियुक्त सहित कुल 4 लोगों के विरूद्ध दिनांक 06.01.2020 को न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है। साक्षी सं0–1 जितेन्द्र गौंड का मुख्य बयान दिनांक 04.03.2021 को न्यायालय के समक्ष अंकित किया गया और अभियुक्तगण अफरोज व मजहर अली की तरफ से प्रतिपरीक्षा दिनांक 02.04.2021 को समाप्त की गयी, परन्तु आवेदक/अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं दिया गया है, जो दिनांक 02.04.2021 के आर्डर शीट के अवलोकन से स्पष्ट है। साक्षी सं0–2 आलोक कुमार यादव का मुख्य बयान न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.01.2022 को अंकित किया गया है, जिसके बाद अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर अली व बरकत अली के द्वारा दिनांक 27.09.2022 को प्रतिपरीक्षा समाप्त की गयी, परन्तु आवेदक/अभियुक्त को साक्षी सं0–2 से भी प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं प्रदान किया गया और साक्ष्य समाप्त कर दिया गया, जो दिनांक 27.09.2022 के आर्डर शीट के अवलोकन से स्पष्ट है। साक्षी सं0–4 ज्ञानमती गौंड़ का मुख्य बयान दिनांक 16.08.2023 को न्यायालय के समक्ष अंकित किया गया है। उसके बाद अभियुक्तगण अफरोज अली व बरकत अली द्वारा दिनांक 07.05.2024 को प्रतिपरीक्षा समाप्त की गयी, परन्तु साक्षी सं0–4 से भी आवेदक/अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं दिया गया और साक्ष्य समाप्त कर दिया गया, जो दिनांक 07.05.2024 के आर्डर शीट के अवलोकन से स्पष्ट है। मुकदमें के न्यायसंगत विनिश्चयन हेतु उपरोक्त जन साक्षी सं0–1, 2 और 4 से आवेदक/अभियुक्त को प्रति परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः मुकदमे के गुणदोष पर निस्तारण हेतु एवं न्यायसंगत विनिश्चियन हेतु उपरोक्त साक्षीगण से आवेदक/अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान करने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त का कथन है कि वह पी0डब्लू01 जितेन्द्र गौड़, पी0डब्लू02 आलोक कुमार यादव व पी0डब्लू04 ज्ञानमती गौड़ से प्रतिपरीक्षा नहीं कर सका है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है, जो मामले के न्यायसंगत विनिश्चिय के लिये आवश्यक है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विद्वान अभियुक्त फिरोज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 42ख अन्तर्गत धारा 348 बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त फिरोज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 42ख अन्तर्गत धारा 348 बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त साक्षीगण को प्रतिपरीक्षा हेतु एक अवसर प्रदान किया जाये।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 01.2025 पेश हो।

ह0

अपर सत्र न्यायाधीश

न्यायालय संख्या–1, गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2025.01.13 16:30:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court